क्रम संख्या–61

पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 21 अप्रैल, 2011 ई०

बैशाख 01, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 161 / XXXVI(3) / 2011 / 23(1) / 2011

देहरादून, 21 अप्रैल, 2011

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ''उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2011'' पर दिनांक 18 अप्रैल, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 10, वर्ष 2011 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2011

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 10, वर्ष 2011)

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए :–

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 है। संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 14 में संशोधन

2–उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 में धारा 14 की उपधारा (2) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा; अर्थात्–

"परन्तु यह कि किसी स्थानीय क्षेत्र में इस प्रकार उद्ग्रहीत कर का उपयोग उसी स्थानीय क्षेत्र में सुविधायें प्रदान करने हेतु किया जायेगा"।

आज्ञा से,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **"The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Act, 2011"** (Adhiniyam Sankhya 10 of 2011).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 18, 2011.

No. 161/XXXVI(3)/2011/23(1)/2011
Dated Dehradun, April 21, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS (AMENDMENT) ACT, 2011

(UTTARAKHAND ACT NO. 10 OF 2011)

Further to amend The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008

AN

ACT

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:--

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Act, 2011.

(2) This shall come into force with immediate effect.

Amendment in section 14

2. In sub-section (2) of section 14 of the Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008, the following proviso shall be added; namely--

"Provided that the tax so levied from any local area shall be utilized to provide facility in the same local area."

By Order,

RAM SINGH,
Principal Secretary.